

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविप/परिषद/संशोध/सम्बद्धता/2022/10770

सम्बद्धता दिनांक: 16/12/2022

संबन्धित तथ्य:-

प्रदेशीय प्रमुख विश्वविद्यालय परिषद, सर्व शिक्षण समिती अखिलेश्वर उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षण द्वारा लोकसभ सत्र 2022-23 हेतु केंद्रबद्ध शैलीय परीक्षा समिती विषय समन्वयी को अनुमोदन देना हेतु जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्बद्धता सम्बद्धता विषयक उत्तर देना हेतु दिनांक 30/08/2022 को प्राविधिक शिक्षण परिषद में सम्बद्धता समिती की बैठक सम्पन्न हुई जिस में अनेक उदाहरण सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदन सर्व शिक्षण परिषद को सम्बद्धता पूर्व में सहायक सम्बन्धनों को सम्बद्धता विषयक अनुमोदन देना किताब की वृद्धि करीब आठ सौ पाठिकाय करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विषयक उत्तर देने जाने का निर्णय किया गया सम्बद्धता समिती द्वारा उत्तर एवं निर्णय के अनुमोदन में सम्बन्धनों को सम्बद्धता का सम्बन्ध पंजीनीकरण हेतु अनुमोदन देना किताब के अनुमोदन करीब आठ सौ पाठिकाय करे।

केंद्रबद्धता/संशोध/संयोजन/14-44/2022-PCB/Approval/Process/2022-2023/14705-09 दिनांक 05 अक्टूबर 2022 में केंद्र वृद्धि करने में उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्व में प्राविधिक शिक्षण परिषद पर (अनुमोदन) पर अनुमोदन करने हुए प्राविधिक शिक्षण परिषद का उत्तर एवं निर्णय देने के लिए एवं निर्णय के अनुमोदन में हुए प्राविधिक शिक्षण परिषद का उत्तर एवं निर्णय देना की कार्य है कि प्राविधिक शिक्षण परिषद के निर्णय के अनुसार केंद्र वृद्धि करे।

संस्था का कोड एवं नाम : 1616-KUNAL COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्री/सी/आई/ओ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संबंधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था प्रोशाईड/सी/डी/आई/ओ/प्री/सी/आई/ओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शैक्षणिक निर्धारण समिती द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा अर्थात् इंडीओ पाठ्यक्रम हेतु रु० 30150 00/- प्रतिवर्ष, डी अर्थात् एमडीसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा डी अर्थात् एमडीसी (डी अर्थात् एमडीसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और अनुमोदन का संबंधी किया जाना आवश्यक होगा। शैक्षणिक निर्धारण समिती द्वारा सत्र 2022-23 हेतु शैक्षणिक का पुनर्निर्धारण किया जात है, जो शैक्षणिक की स्थितिगत हों लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश भारत द्वारा बनाने गये अधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2022, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2022 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2022 द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों,

अर्थात् निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थानों का एआईसीटीईओपीसीआईओ परिषद से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तराधिकारिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश पौधा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत बहिर्देशों का पालन किया जाता है तथा शासन बाह्य के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अर्थात् निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश पौधा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिल उत्तर प्रदेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एआईसीटीईओपीसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के सद्यःसत से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय, समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों के अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैलेंस शीट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की विद्युत पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण प्रस्तुत हेतु उपर्युक्त बाध्यकारी उपलब्ध कराने के साथ, निर्गत शीटों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था से प्राप्त/विगत संचालित/पाठनक्रम को चलाने/जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य जैसे अभिलेख, भूमि-भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठनक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षा, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआईसीटीईओपीसीआईओ परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने/जाने अर्थात् शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनमय कार्यवाही की जायेगी।



(एक/आर/आन)

सचिव

एआईसीटीईओपीसीआईओ परिषद/2022/10771-11054

15/12/2022

प्रतिष्ठित

पञ्चनद्यामिनिदेशक KUNAL COLLEGE OF PHARMACY



(एक/आर/आन)

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

श्री.कामेशचन्द्र शर्मा,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 34 प्रो. लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कक्षा, दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 34 प्रो. लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु विस्तारित स्वी. के अधीन अनुमोदन एवं उत्तरी अखिल प्रदेश क्षेत्र में सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1615-KUNAL COLLEGE OF PHARMACY

क्र(सं)	पाठ्यक्रम का नाम	परीक्षा/विशेष/टीएड/सी/पैरिऑड/द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित स्वी. के अधीन	पैरिऑड/द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित स्वी. के अधीन
		संख्या	संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तरी प्रदेश क्षेत्र के सत्र संख्या 31/118-3099/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 अगस्त 2023 द्वारा पूर्व से संघीयित संस्थाओं की शर्त के तहत अखिल भारतीय स्तरांतर है। प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या 1037/2023 में संघीयित स्तरांतर के अंतर्गत शिक्षा के अधीन अनुमोदन विस्तार की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विधायित्व की सभी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आचार्य के अनुक्रम संस्थाओं में अखिल भारतीय निर्णय, अंतिम, शेष उपकरण, अदि उपकरण हैं।
- ✓ संस्था उत्तरी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विधायित्वकारी 1982 विधायित्वकारी-2000, संघीयित विधायित्वकारी-2018 तथा लखनऊ-सत्र पर निर्णय संस्थाओं को अनुमोदन करेगी तथा शुल्क विधायित्व समिति द्वारा विधायित्व शुल्क ही अखिल भारतीय स्तरांतर के अंतर्गत किया जायेगा। अखिल भारतीय अखिल भारतीय स्तरांतर के अंतर्गत स्तरांतर पर आचार्य द्वारा निर्णय किये जाते हैं। आचार्यदेव प्रस्तावों को, और उद्देश्यों को संस्थाओं द्वारा

संशोधन

पुनर्जागरण संस्थान KUNAL COLLEGE OF PHARMACY


अंशु कुमार सिन्हा

सचिव

कार्यालय,सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय, टाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उप) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयुक्त हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं का सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उप) लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1616-KUNAL COLLEGE OF PHARMACY, NH-2, GWALIOR ROAD, TEHARA, AGRA

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेनेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शंकाएं दूखी निर्गत किये जाने वाले शासन-देशीय पत्राची होंगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा बाई सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उप) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना, विनियमवाली-2000

की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि जो सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बच टापर किया जाता है तथा टापर बच के संबंध में नो न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी भ्रष्ट पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्रतिश्लेषः

प्रधानाचार्य/निदेशक, KUNAL COLLEGE OF PHARMACY, NH-2, GWALIOR ROAD, TEHARA, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव